

प्रकरण संख्या :- 152 / 2025
प्रकरण दायर दिनांक :- 28.10.
प्रकरण निर्णय दिनांक :- 21.01.

1. विजयसिंह पुत्र भोमाराम
 2. भागचन्द पुत्र भोमाराम
1. राजस्थान सरकार जरी

प्रार्थना

प्रार्थी द्वारा वि
आशय का पेश किया कि
का बास तहसील बांदीकु
में स्थित है जिसके खात
450, 451/623, 452, 4
जगह भौरया अंकित हो
करवाये जाने के आदेश

प्रार्थना पत्र व

बडियाल कला के पत्र
मौका पर्वा ग्राम मैडी क
बास के राजस्व रिकॉ
विजयसिंह पि. भौरया वि
पहचान पत्र, आधारकार्ड
है प्रार्थीगण के पिताजी
मीना अंकित है। उपस्थि
बताया गया कि भोमा
भोमाराम/भोमा/भोरया
के पिताजी का नाम र
प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजात, प्राप्त जाँच
तहसील बांदीकुई जिल
42 पुराना 41 तहसील
नाम भौरया सहवन से
है। राजस्व जमाबंदी मे

तारीख दुकम	दुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	कमर उप दुकम की से जारी
---------------	-----------------------------------	---------------------------------

13/11/2025
पत्रावली पेश की गयी। तकील प्रार्थी उप.
तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर रिपोर्ट
हो जारी होकर दिनांक 17/12/25
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

17/12/25

पत्रावली पेश हुई। तकील प्रार्थी उप.
तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर रिपोर्ट
हेतु जारी होकर दिनांक 21/01/2026
को पेश है।

उप जिला मजिस्ट्रेट
बांदीकुई

21/01/2026

पत्रावली पेश हुई। तकील प्रार्थी उप.
सरकार उप. एवं वागत अदिगिग पर हस्तोक्तर
स्थिती की कि पत्रावली के संलग्न पत्रवारी एवं
रिपोर्ट गिरदावर दिनांक 03/09/2025 अनुसार
इन्डान दुरुस्त किया जाना उपरि बताया। हमने
पत्रावली का बहस सुनी। बहस पर हमने उपा
पत्रावली का अक्लोन किया। अतः बहसकार वहल पर
मनन करे एवं प्रान्त्र के अक्लोन के आकार पर प्रा
अंतर्गत धारा 136 CRAB स्वीकार योग्य होने पर
स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निविद प्रकृत
लिखा जाउ शामिल पत्रावली किया गया। पुस्तक
फैल सुमा होकर बाद तहसील शाखिभ दफ्तर हो।

21/1/26
उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (रोवा)

पत्रावली के
पत्रावली पेश की
रिपोर्ट दिनांक
3/9/2025
इन्डान दुरुस्त
किया जाना
उपरि बताया।
हमने
पत्रावली का
बहस सुनी।
बहस पर हमने
उपा
पत्रावली का
अक्लोन किया।
अतः बहसकार
वहल पर
मनन करे एवं
प्रान्त्र के
अक्लोन के
आकार पर प्रा
अंतर्गत धारा
136 CRAB
स्वीकार योग्य
होने पर
स्वीकार किया
जाता है।
विस्तृत निविद
प्रकृत
लिखा जाउ
शामिल पत्रावली
किया गया।
पुस्तक
फैल सुमा होकर
बाद तहसील
शाखिभ दफ्तर
हो।

प्रकरण संख्या :- 152/2025

प्रकरण दायर दिनांक:- 28.10.2025

प्रकरण निर्णय दिनांक:- 21.01.2026

उपवान

1. विजयसिंह पुत्र भोमाराम जाति मीना निवासी मैडी का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा
 2. भागचन्द पुत्र भोमाराम जाति मीना निवासी मैडी का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा
- बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बांदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र नाम शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 रा0 लै0 रे0 एक्ट

निर्णय दिनांक 21.01.2026

प्रार्थी द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण विजयसिंह, भागचन्द पुत्रान भोमा जाति मीना निवासी मैडी का बास तहसील बांदीकुई के रहने वाले है प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि ग्राम मैडी का बास में स्थित है जिसके खाता संख्या 42 व खसरा नंबर 310, 311, 312, 313/633, 314, 449, 450, 451/623, 452, 453, 454 है इस जमाबंदी में प्रार्थीगणों के पिता का नाम भोमा की जगह भौरया अंकित हो गया है। अतः जमाबंदी में अशुद्ध नाम भौरया की जगह भोमा नाम करवाये जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ उपतहसीलदार (भू.अ.) बडियाल कलां के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/1444 दिनांक 11.09.2025 की रिपोर्ट मय मौका पर्चा ग्राम मैडी का बास दिनांक 03.09.2025 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मैडी का बास के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 42 में भागचन्द, विजयसिंह पि. भौरया हि. 1/4 जाति मीना शेष खाता बदरतूर दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड में प्रार्थीगण के पिताजी का नाम भोमाराम/भोमा अंकित है प्रार्थीगण के पिताजी के पहचान पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र में भोमा/भोमाराम पुत्र सोन्याराम मीना अंकित है। उपस्थित लोगो व ग्रामवासियों से भोमाराम के नाम के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि भोमाराम को भौरया के नाम से भी जाना जाता था उक्त ग्राम में भोमाराम/भोमा/भौरया पि. सोन्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं बताया। अतः प्रार्थीगण के पिताजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में भोमाराम किया जाना उचित बताया। हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण की बहस सुनी। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम मैडी का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा की राजस्व जमाबंदी संवत् 2073-2076 खाता संख्या नया 42 पुराना 41 तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रार्थीगण विजयसिंह, भागचन्द के पिता का नाम भौरया सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम भोमाराम है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन

अथे-

से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते हैं कि खाता संख्या 42 के खसरा नंबर 310, 311, 312, 313/633, 314, 449, 450, 451/623, 452, 453, 454 ग्राम मैडी का बास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में प्रार्थीगण विजयसिंह, भागचन्द के पिता के सही नाम की तहसीलदार बांदीकुई स्वयं जाँच करें यदि प्रार्थीगण विजयसिंह भागचन्द के पिता का सही नाम भोमाराम हो तो रिकॉर्ड में शुद्ध कर विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

रामसिंह राजावत
(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई